

योजना मंत्रालय

मांग संख्या 75

योजना मंत्रालय

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 258.57 | 0.38 | 258.95 | 338.97 | 0.68 | 339.65 | 485.83 | 0.68 | 486.51 | 582.29 | 1.11 | 583.40 |
| <i>वसूलियां</i> | -0.80 | ... | -0.80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>प्राप्तियां</i> | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 257.77 | 0.38 | 258.15 | 338.97 | 0.68 | 339.65 | 485.83 | 0.68 | 486.51 | 582.29 | 1.11 | 583.40 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 67.42 | ... | 67.42 | 72.85 | ... | 72.85 | 71.20 | ... | 71.20 | 74.31 | ... | 74.31 |
| 2. विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय | 11.39 | ... | 11.39 | 18.00 | ... | 18.00 | 10.31 | ... | 10.31 | 11.00 | ... | 11.00 |
| जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय | 78.81 | ... | 78.81 | 90.85 | ... | 90.85 | 81.51 | ... | 81.51 | 85.31 | ... | 85.31 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 3. स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) | 139.32 | ... | 139.32 | 200.00 | ... | 200.00 | 335.00 | ... | 335.00 | 303.74 | ... | 303.74 |
| 4. चालू कार्यक्रम और स्कीमें | 31.53 | 0.38 | 31.91 | 39.12 | 0.68 | 39.80 | 60.32 | 0.68 | 61.00 | 183.89 | 1.11 | 185.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 170.85 | 0.38 | 171.23 | 239.12 | 0.68 | 239.80 | 395.32 | 0.68 | 396.00 | 487.63 | 1.11 | 488.74 |
| केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| स्वायत्त निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 5. राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान | 8.91 | ... | 8.91 | 9.00 | ... | 9.00 | 9.00 | ... | 9.00 | 9.35 | ... | 9.35 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 6. वास्तविक वसूलियां | -0.80 | ... | -0.80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | 8.11 | ... | 8.11 | 9.00 | ... | 9.00 | 9.00 | ... | 9.00 | 9.35 | ... | 9.35 |
| कुल जोड़ | 257.77 | 0.38 | 258.15 | 338.97 | 0.68 | 339.65 | 485.83 | 0.68 | 486.51 | 582.29 | 1.11 | 583.40 |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 66.86 | ... | 66.86 | 72.85 | ... | 72.85 | 71.20 | ... | 71.20 | 74.31 | ... | 74.31 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | | संशोधित 2018-2019 | | | बजट 2019-2020 | | |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 190.91 | ... | 190.91 | 266.12 | ... | 266.12 | 414.63 | ... | 414.63 | 507.98 | ... | 507.98 |
| 3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय | ... | 0.38 | 0.38 | ... | 0.68 | 0.68 | ... | 0.68 | 0.68 | ... | 1.11 | 1.11 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 257.77 | 0.38 | 258.15 | 338.97 | 0.68 | 339.65 | 485.83 | 0.68 | 486.51 | 582.29 | 1.11 | 583.40 |
| कुल जोड़ | 257.77 | 0.38 | 258.15 | 338.97 | 0.68 | 339.65 | 485.83 | 0.68 | 486.51 | 582.29 | 1.11 | 583.40 |

1. **सचिवालय:** नीति आयोग सहित सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान करता है।

2. **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय:** विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के व्यय हेतु प्रावधान करता है।

3. **स्व-रोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम):** अटल नवोन्मेष मिशन (एआईएम) शिक्षाविदों, उद्यमियों और अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करने वाला नवोन्मेष प्रोत्साहन मंच होगा और यह भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाएगा। एआईएम अनुदानों, पुरस्कारों और चुनौती कार्यक्रमों के माध्यम से नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तंत्रों का सृजन करेगा। स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग (सेतु) विशेष रूप से प्रौद्योगिकी-बहुल क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसायों के सभी पहलुओं और स्वरोजगार के अन्य कार्यक्रमों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी-वित्तीय, इनक्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम होगा।

4. **चालू कार्यक्रम और स्कीमें:** पूर्ववर्ती योजना आयोग के चालू कार्यक्रम और स्कीमों जैसे कि कार्यालय प्रक्रियाओं और प्रणालियों का सुदृढीकरण, अंतरराष्ट्रीय अंशदान, अनुसंधान और अध्ययन, योजना निर्माण मूल्यांकन और समीक्षा, असमानताओं को कम करने के संबंध में मानव विकास हेतु यूएनडीपी सहायता तथा यूएनडीपी सहायता-प्राप्त परियोजना "विकेंद्रीकृत आयोजना हेतु क्षमताओं का सुदृढीकरण" के संबंध में व्यय के लिए प्रावधान करता है।

आकांक्षी जिलों के लिए विशेष कार्यक्रम जिसके तहत भारत सरकार चुनौती पद्धति के आधार पर आकांक्षी जिलों को असम्बद्ध निधियां प्रदान करती है। इस कार्यक्रम के अनुसार, जिलों को उनके द्वारा हासिल किए गए रैंक के आधार पर प्रत्येक माह (जनवरी 2019 से) अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाना है और इस रैंक का परिकलन आकांक्षी जिला कार्यक्रम के प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों के संबंध में हासिल की गई वृद्धिकारी प्रगति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के लिए सचिवों की अधिकार-प्राप्त समिति गठित की है। इस समिति को भारत में एसडीजी से संबंधित डेटा के अनुवीक्षण और मान्यकरण हेतु परियोजनाएं आरंभ करने के अतिरिक्त आकांक्षी जिलों के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं संस्वीकृत करने का अधिकार है।

5. **राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान:** राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के संबंध में सहायता-अनुदान का प्रावधान करना।